Website:www.epfindia.gov.in
Email: sro.kota@epfindia.gov.in

Telephone : 0744-2425392
Fax : 0744-2421018

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय
भविष्य निधि भवन, विज्ञान नगर, कोटा – 324005

No.RO/Kota/Adm/3/ 3072

Date: 11 AUG 2017

मैसर्स ___________

____

____

विषयः सिक्योरिटी गार्ड हेतु निविदा सूचना।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान नगर, कोटा द्वारा इच्छुक निविदाकर्ता फर्म से संविदा आधार पर सिक्यूरिटी गार्डस दैनिक वेतन भोगी आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। श्रम शक्ति तथा आवश्यक अर्हताँए निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पद का नाम	व्यक्तियो की संख्या	आवश्यक योग्यता
1.	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	7	न्यूनतम दसवीं पास

इच्छुक एजेन्सी/निविदाकर्ता केवल अपना सर्विसचार्ज अंकित करें। उपरोक्त पदों का वेतन भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से किया जाएगा। विस्तृत नियम व शर्तो के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा में सहायक आयुक्त–प्रशासन से सम्पर्क करें या विभाग की वेबसाइट **epfindia.gov.in or epfrajasthan.org** से डाउनलोड़ की जा सकती है। टेण्डर फार्म Rs.500/- के भुगतान पर सहायक आयुक्त–प्रशासन से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा ईएमडी राशि Rs.10,000/- (Refundable) टेण्डर फार्म के साथ देय होगा। समस्त प्रकार के भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोटा के पक्ष में किए जावेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां निम्न प्रकार होंगीः

1. टेण्डर फार्म वितरण की तिथिः 14.08.2017 – 25.08.2017
2. टेण्डर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 28.08.2017 (04:00 PM)
3. टेण्डर खोले जाने की तिथि एवं समयः 28.08.2017 (05:00 PM)

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार.

(पी आर जैन)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन)

शर्ते निम्न होंगीः-

1. टेंडर फार्म के साथ अर्नेस्ट मनी डिपोजिट राशि Rs.10,000/- क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोटा के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
2. सफल निविदाकर्ता को टेंडर राशि की 5% राशि सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करवानी होगी।
3. ऐजेंसी प्रभार (सर्विस चार्ज) समस्त सांविधिक जिम्मेदारियों जैसे ईपीएफ, ईएसआईसी, सर्विस टेक्स/जीएसटी इत्यादि से पृथक होगा।
4. सफल निविदाकर्ता ऐजेंसी द्वारा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त श्रम नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
5. निविदा के नियमों एवं शर्तो में संशोधन करने का अधिकार कार्यालय को होगा।
6. ऐजेंसी का कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में जमा सिक्यूरिटी राशि को जब्त करके निविदा/करार स्वतः रद्द माना जाएगा।
7. कर्मचारियों की संख्या कम या अधिक करने का अधिकार कार्यालय को होगा।
8. ऐजेंसी तथा उसके द्वारा प्रदत्त स्टाफ को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के सुरक्षा निर्देशों/प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा।
9. कार्य का पालन अत्यन्त सावधानी, परिश्रम से करना होगा तथा ऐजेंसी अपने स्टाफ को उपयुक्त तथा निपुणता से कार्य संपादित करने के लिए पर्यवेक्षित/निर्देशित करेगी।

अन्य शर्ते

अगर ऐजेंसी द्वारा इन नियमों एवं शर्तो के आधार पर कार्य किया जाता है तथा उनकी सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो यह संविदा एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी तथा संविदा का कार्यकाल बढाया भी जा सकता है। ऐजेंसी द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे जिनमें संशोधन का अधिकार कार्यालय को होगाः

सुरक्षागार्ड के कर्तव्यः सुरक्षा गार्ड हर स्थिति में क्षेत्रीय आयुक्त, कोटा के दिशा निर्देशों का पालन करेगा। कार्यालय की स्थाई तथा अस्थाई संपत्ति की सुरक्षा, कार्यालय परिसर तथा कॉलोनी में बाहरी व्यक्तियों का बिना आज्ञा प्रवेश रोकना, रात के समय सजग रहते हुए चौकीदारी करना।

ऐजेंसी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

1. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए खारिज करने का अधिकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा का होगा।
2. ईपीएफ कार्यालय द्वारा आयकर टी.डी.एस. की कटौती कर भुगतान NEFT के माध्यम से ही किया जायेगा।
3. टेंडर (निविदा) भेजने वाले टेंडर लिफाफे पर <u>"सुरक्षागार्ड हेतु निविदा"</u> अवश्य लिखे।
4. सफल निविदाकर्त्ता को तुरन्त ही ईपीएफ कार्यालय, कोटा के साथ एक वर्ष का अनुबंध/करार निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्त्ता अपनी एजेन्सी/फर्म के पंजीकरण एवं वैधता सम्बन्धी कागजात की प्रतियॉ Tender Document के साथ ही प्रस्तुत करे।
6. सभी कानूनी विवादों का न्यायिक क्षेत्र कोटा शहर होगा।
7. सुरक्षा गार्डो को यूनिफोर्म एवं समस्त सुरक्षा उपकरण एंजेसी द्वारा ही प्रदान किये जाएगें।
8. यदि यह पाया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा की सम्पत्ति सुरक्षाकर्मी की उपेक्षा या अनदेखी की वजह से गुम अथवा नष्ट हो गई तब उस संपत्ति की

अवमूल्यित कीमत के हिसाब से राशि सुरक्षा एंजेसी को जमा करानी होगी एवं एजेंसी के बिल में से भी समायोजित की जा सकेगी।

9. एंजेसी नियुक्त किये गये सभी स्टाफ को परिचय पत्र भी प्रदान करेगी।
10. समस्त नियुक्त स्टॉफ अपने प्रयोजन का कार्य करेगा तथा देयो के भुगतान, अन्य देय तथा समस्त श्रम नियमों की अनुपालना हेतु एजेंसी उत्तरदायी होगी।
11. संविदा का निर्धारण हो जाने के उपरांत एंजेसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के साथ राशि रूपयें 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट करेगी जिसमें उपरोक्त नियम एवं शर्ते उल्लेखित रहेगी।
12. ठेकेदार यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा सभी व्यक्ति ईमानदार, निपुन है तथा अपने कार्य की प्रकृति से भली भाँति परिचित है।
13. समस्त संबंधित नियमों की अनुपालना हेतु एंजेसी उत्तरदायी रहेगी।
14. क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा में एंजेसी द्वारा पदस्थ किसी भी स्टॉफ के छुट्टी जाने पर एंजेसी को उसके एवज में दूसरा व्यक्ति लगाना होगा।
15. एंजेसी ही कार्य का पर्यवेक्षण करेगी एवं हाजरी रखेगी तथा माह समाप्ति के पश्चात् एक तारीख को प्रमाणित कर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
16. निविदा कार्यादेश से पूर्व सफल निविदा दाता को 03 दिवस के अन्दर अनुबंध कर परर्फामेन्स राशि जामा करवानी अनिवार्य होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त जमा कर ली जावेगी।
17. एंजेसी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट नियुक्ति के समय उपलब्ध करवाना निविदा दाता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। बिना पुलिस वेरीफिकेशन कार्य पर नही रखा जावेगा।
18. टेंडर दिनांक 28.08.2017 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II एवं प्रभारी अधिकारी के समक्ष खोला जाएगा। टेंडर खोलने के समय समस्त टेंडरकर्त्ता खोलने की प्रक्रिया के साक्षी के तौर पर उपस्थित रह सकते है।
19. आवेदन कर्ता फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं अन्य श्रमिक अधिनियमों के अंतर्गत् वांछित पंजीयन/कोड नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(पी आर जैन)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, कोटा में सुरक्षागार्ड सप्लाई करने हेतु

आवेदन पत्र

1. कंपनी/संस्था का नाम एवं पता
2. स्थापना की तिथि
3. सुरक्षागार्ड नियुक्त करने के उपरांत कार्य आरंभ की तिथि
4. सुरक्षागार्ड प्रदान करने का अनुभव (वर्षो में)
5. दिनांक 31/07/2017 को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
6. किस संस्थान में कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है उन प्रमुख कंपनियो/संस्थानो/शासकीय संगठनो की जानकारी
7. पी. एफ. कोड नं0
8. ई.एस.आई. कोड नं0
9. सर्विस चार्ज प्रतिशत में
10. सिक्योरिटी लाईसेंस नं0 एंव जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी का नाम

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी संस्था द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 सहित समस्त श्रम एवं अन्य नियमों का तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 का अनुपालन किया जाता है तथा आवेदन की समस्त समयावधि के लिए उपरोक्त अनुपालन जारी रखने के लिए बाध्य है।

दिनांकः

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पता एवं मोहर